प्रेषक,

एन0एच0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 18 सितम्बर 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में के0जी0एम0यू0 में आम्रपाली योजना हरदोई रोड (शिक्षकों/कर्मचारी आवास निर्माण) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2612/योजना/2017, दिनांक 23-6-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- के0जी0एम0यू0 में आम्रपाली योजना हरदोई रोड (शिक्षकों/कर्मचारी आवास निर्माण) हेतु शासनादेश संख्या-301/71-3-08-सी0एम0यू0-12/2003टी0सी0, दिनांक 05-2-2008 द्वारा रू0 1075.71 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से अबतक रू0 985.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	301/71-3-08-सी0एम0यू0-12/2003टी0सी0, दिनांक 05-2-2008	230.00
2	1082/71-3-09-सी0एम0यू0-12/2003टी0सी0, दिनांक 18-3-2009	136.36
3	2944/71-3-2010-सी0एम0यू0-12/2003टी0सी0, दिनांक 29-10-2010	319.44
4	2531/71-3-12-सी0एम0यू0-12/2003टी0सी0, दिनांक 24-7-2012	300.00
	योग-	**985.80**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में के0जी0एम0यू0 में आम्रपाली योजना हरदोई रोड (शिक्षकों/कर्मचारी आवास निर्माण) हेतु रू0 36,12,000/- (रूपया छत्तीस लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी चि0वि0वि0 की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) चि0वि0वि0 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद में किया जायेगा। चि0वि0वि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगसत, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानो को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तदायित्व चि0वि0वि0 /कार्यदायी संस्था का होगा।

5) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/चि0वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा। ई परियोजना पोर्टल पर परियोजना का माइलस्टोन एवं कार्यो के फोटोग्राफ अपलोड किया जाय सुनिश्चत किया जायेगा

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या- 63/2017/3305(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6) परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
7) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) नोडल अधिकारी ई परियोजना चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।